न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

रेस्टोरेशन प्रकरण क्रमांक /2013 जिला–छतरपुर 2504-II/13

तिजवा पुत्र श्री मनप्यारे अहिरवार, निवासी– ग्राम भभुवा, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.)

..... प्रार्थी

विरूद्ध

1– तुलसीदास पुत्र श्री रामचरन पटेल,
2– बैजनाथ पुत्र श्री रामचरन पटेल,
3– आशाराम पुत्र श्री बैजनाथ पटेल,
4– महेश पुत्र श्री बैजनाथ पटेल,
5– राजाराम पुत्र चित्ते पटेल,
निवासीगण– भभुवा, तहसील राजनगर, जिला–छतरपुर (म.प्र.)
6– दिलीप कुमार पुत्र श्रीभागचन्द्र पटेल,
7– शिवराम पुत्र श्री भागचन्द्र पटेल,
8– कुलदीप पुत्र श्री भागचन्द्र पटेल
9– रूकमनदेवी पुत्री श्री भागचन्द्र पटेल
10– राजकुमार वैवा श्री रमेश,
11– राजेश नाबालिग राजकुमारी वैवा रमेश
12– हरेन्द्र नाबालिग राजकुमारी वैवा रमेश
13– विपिन नाबालिग राजकुमारी वैवा रमेश
14– प्रियंका नाबालिग राजकुमारी वैवा रमेश
निवासीगण– ग्राम तालगांव, तहसील राजनगर, जिला–छतरपुर (म.प्र.)
15– मध्यप्रदेश शासन

..... प्रतिप्रार्थीगण

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 505-II/2012 पुनरीक्षण में पारित आदेश दिनांक 04.06.2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 9 के नियम 32 के अधीन रेस्टोरेशन आवेदन–पत्र।

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से यह आवेदन सविनय निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

(1) यहकि, प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया था, जोकि विचाराधीन था।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रि० 2504/11/13 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-10-15	प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क प्रकरण के पुनर्स्थापित करने हेतु सुने गये। प्रकरण में आवेदक अधि० द्वारा प्रकरण को पुनर्स्थापित करने का निवेदन किया गया। मूल प्रकरण क्रमांक 505/11/12 निगरानी में पक्षकार आदेश दिनांक 4-6-13 से प्रकरण में सूचना के बाद भी अना० क्र० 6 से 14 तक के रजिस्टर्ड डाक से सूचना भेजने के आदेश दिए गये थे किन्तु आवेदक अधि० द्वारा आदेश का पालन न करने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया गया था। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया गया विचारोपरांत मूल प्रकरण क्रमांक 505/11/12 पुनर्स्थापित किया जाता है। प्रकरण मूल क्रमांक में दर्ज होकर कार्य० हो। यह पुनर्स्थापन प्रकरण क्रमांक उक्त निर्देशों के साथ समाप्त किया जाता है। सदस्य	

[कृ. प. उ.